

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:- 34 / 2019

दायर दिनांक:- 26.02.2019

जीसीएमएस नं. 2019 / 00153

उनवान

मोहित पुत्र दीनदायाल नाबालिग जरिये माता अनिता पत्नि दीनदायाल जाति जाट  
निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

दीनदायाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन जिला  
करौली राज0

—प्रतिवादीगण—30

दावा बाबत तकास्मा, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में  
वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार  
वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद  
वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 07.01.2021 से आज  
दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं  
वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। वादीगण एवं  
वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा  
न0 34 / 2019 मोहित बनाम दीनदायाल आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम  
हाजिरी व अदम तकमील / पालना में खारिज किया जाता है।



यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर  
सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली